(7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 280 / 2015

दायर दिनांक–18–12–2015

1 रामेश्वर पुत्र बालू जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2 धर्मपाल पुत्र बालू जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3 सुभाष पुत्र बालू जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4 नानची पत्नी बालू जाति जाट निवीस कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5 विधाधर पुत्र तुलसा जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6 प्रहलाद पुत्र तुलसा जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7 इन्द्राज पुत्र तुलसा जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8 घोटी स्त्री तुलसा जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. मामचन्द, 2. पन्नालाल, 3. चन्दगीराम — पुत्रान् बालू
4. गणपत पुत्र तुलसा
5. हरिसिंह पुत्र तुलसा
6. नाहर सिह (फौत)
   (क) रामा देवी पत्नी नाहरसिह
   (ख) विकास पुत्र नाहर सिह
   (ग) देवीलाल पुत्र नाहर सिह
7. महादेव, 8. मनीराम, 9. मंगलचन्द — पुत्रान् रूपा
10. घोटी देवी पत्नी सांवर
11. संदीप, 12. प्रशांत — पुत्र सांवर
13. रामप्रताप, 14. श्रीलाल, 15. श्रीचंद — पुत्रान् काना
16. नानड़ (फौत)
   (क) राजेन्द्र पुत्र नानड़
   (ख) दशरथ पुत्र नानड़
17. रामप्रसाद पुत्र रूडा
18. श्योकोरी पत्नी पूरा
19. रामसिह पुत्र पूरा
20. झीमली पत्नी बोदू
21. सुनिता पत्नी शंकर
22. अमीत, 23. कार्तिक — नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुनिता
24. मोहनी पत्नी मंशा
25. शीशराम पुत्र झाबर
26. किस्तुरी पत्नी झाबर
27. गिरधारी पुत्र बनावारी
28. सुरेश पुत्र बनवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

29. महेन्द्र पुत्र बनवारी
30. सरबती पत्नी बनवारी
31. मंजू पत्नी महीपाल
32. अंकित कुमार } नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मंजू
33. रिया कुमारी }
34. विजय पुत्र रामकुमार
35. संजय पुत्र रामकुमार
36. प्रभाती पत्नी रामकुमार
37. सुशिला पत्नी रामस्वरूप
38. मोहरी पत्नी कालू
39. मुखराम पुत्र कालू
40. श्योकरण पुत्र कालू
41. भोलूराम पुत्र कालू
42. सरदारा पुत्र कालू
43. ज्याना पत्नी जोधा (मृत नाम हजफ)
44. नागर (फौत)
    (क) मनोहरी पत्नी नागर
    (ख) आजाद पुत्र नागर
    (ग) रोशन पुत्र नागर
45. मोहन पुत्र जोधा
    प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 45 समस्त जाति जाट निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
46. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
47. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
48. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
49. तहसीलदार नवलगढ़।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री शीशुपाल सिह कुल्हरी
वकील प्रतिवादीगण :– श्री सुरेश कुमार सैनी/श्री हरलाल सैनी

<u>दावा : बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक :– 10.01.2022

वाद–पत्र में संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि :– वादी वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कोलसिया की सहरद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 488, 489 व 496 जिसके नये खसरा नम्बर क्रमशः 1528/1064, 1064, 1062, 1061, 1060 रकबा क्रमशः 0.21, 0.04, 0.23, 0.28, 0.21 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैक्टर अवस्थित है। वर्णित भूमि के [illegible] जन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 45 के मध्य हो चुका है, परन्तु प्रस्तुत धारा में अं[illegible]म्बर की भूमि केवल मात्र स्वर्गीय रूपा, काना, धीरा व उदा के वारिसान के बीच [illegible] विलोपित कर दिया था, जबकि प्रस्तुत भूमि में मला के वारिसा[illegible] दिशा का काश्त करते है, राजस्व अभिलेख में अंकित नही हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की धारा 2 में अंकित भूमि मे 1/5 भाग पूर्व दिशा [illegible]ादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 काश्त करते है लेकिन राजस्व अभिलेख गलत रूप से रूपा, काना, धीरा व उदा के वारिसान के नाम गलत रूप से अंकित हो जाने के कारण उनका नाम राजस्व अभिलेख में है लेकिन मौके पर स्वर्गीय मला के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पूर्वी 1/5 भाग काश्त कर रहे है, जिस बाबत किसी तरह का ऐतराज

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगढ़

...की आपति प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 45 ने आज तक नही करके वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के तत्सम्बन्धी खातेदारी अधिकारो को आज तक मान्य किया है।

वादी संख्या 2 दिनांक 7.01.2014 को पटवारी हल्का के पास ऋण लेने वास्ते पत्रावली हेतु जमाबन्दी के लिए गया तो उसने उक्त गलत रिकार्ड बाबत जानकारी दी, जिस पर राजस्व रिकार्ड क सम्पूर्ण नकले लेकर प्रतिवाद संख्या 5 लगायत 45 को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया, जिसने वादीगण के खातेदारी अधिकारो को स्वीकार करके जल्दी ही राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आश्वासन दिया किन दिनांक 01.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 49 से मिलने पर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में कार्यवाही बाबत निर्देशित करने पर यह वाद घोषणार्थ पेश किया गया है।

प्रस्तुत गलत राजस्व रिकार्ड के कायम रहने से वादीगण के हक हकुको पर क्लाउड आने का अंदेशा उठ खड़ा हो गया है, इसलिए वादीगण न्याय की शरण में आकर वाद दुरूस्ती रिकार्ड का पेश किया।

वाद कारण बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बखिलाफ अवशेष प्रतिवादीगण दिनांक 07.01.2014 को पटवारी हल्का द्वारा गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी देने तथा दिनांक 01.12.2014 को पटवारी हल्का द्वारा गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी देने तथा दिनांक 01.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 49 द्वारा न्यायालय में कार्यवाही बाबत निर्देशित करने के रोज माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। वाद से सम्बन्धित विवादित भूमि न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे होने से वाद–पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को है। प्रतिवादी संख्या 46 लगायत 48 के यहां प्रस्तुत भूमि का भाग रहन होने तथा प्रतिवादी सख्या 5 लगायत 45 भूमि के राजस्व अभिलेख में सहखातेदार होने के आधार उन्हे प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 488, 489 व 496 जिसके नये खसरा नम्बर क्रमशः 1528/1064, 1064, 1062, 1061,1060 रकबा क्रमशः 0.21, 0.04, 0.23, 0.28, 0.21 कुल किता 4 कुल रकबा 0.97 हैक्टर के 1/5 भाग के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार है, तद्नुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 49 को आदेशित फरमाया जावे। अन्य कोई सिद्धी चाही जाने से रह गई हो जो वादीगण के पक्ष में हो वह भी दिलवाई जावे।

वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 8, 10 लगा॰ 17, 21 लगा॰ 28, 30, 31 व 34 लगा॰ 45 स्वयं उपस्थित न्यायालय हो अपना इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद पत्र के संबंध बिन्दुओ को स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि वाद पत्र में विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पूर्वी भाग 1/5 भाग पर काश्त कर रहे है, जो उनके नाम करने पर कोई आपति नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 7 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सैनी ने अपना वकालत नामा पेश किया तथा इनकी ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया। प्रतिवादीगण संख्या 6(क), (ख),(ग), 16(क), (ख), 44(क),(ख), (ग) की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सैनी उपस्थित हो इनकी ओर इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादीगण के वाद–पत्र को स्वीकार किया है। शेष प्रतिवादीगण संख्या 9, 18, 19, 20, 29, 31, 32, 33, 46, 47, 48, 49 की तलबी प्रर्याप्त सम्यक रूप से तामील होने के बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने के इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणो द्वारा वाद–पत्र पर इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद पत्र को स्वीकार करने तथा कुछ प्रतिवदीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नही रह जाता है।

शहादत वादी में वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री प्रहलाद पुत्र तुलसा जाति जाट निवासी ग्राम कोलसिया, पी.डब्ल्यू 2 रामप्रसाद पुत्र रूडा जाति जाट निवासी कोलसिया, पी.डब्ल्यू–3 पन्नालाल पुत्र बालू जाति जाट निवासी कोलसिया, पी.डब्ल्यू–4 रामप्रताप पुत्र माना जाति जाट निवासी कोलसिया उपस्थित न्यायालय हो अपने चीफ के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 ग्राम कोलसिया की जमाबदी सम्वत 2016–2019 की नकल, प्रदर्श–2 नकल मिलान की, प्रदर्श–3 ग्राम कोलसिया की जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 की नकल, प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस ग्राम, प्रदर्श–5 ग्राम कोलसिया की नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, प्रदर्श–6ए, से 8ए ग्राम कोलसिया की जमाबंदी सम्वत 2067–2070 प्रदर्शित कराये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम कोलसिया की सहरद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 488, 489 व 496 जिसके नये खसरा नम्बर क्रमशः 1528/1064, 1064, 1062, 1061, 1060 रकबा क्रमशः 0.21, 0.04, 0.23,

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. द्व.)
नकलचाह

(10)

0.28, 0.21 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैक्टर अवस्थित है। वर्णित भूमि के अलावा अन्य भूमि का विधिवत विभाजन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 45 के मध्य हो चुका है वर्णित खसरा नम्बर की भूमि केवल मात्र स्वर्गीय रूपा, काना, धीरा व उदा के वारिसान के बीच हुआ अर्थात मला के वारिसान का विभाजन में नाम विलोपित कर दिया था, जबकि प्रस्तुत भूमि में मला के वारिसान का 1/5 भाग जो कि वे मौके पर पूर्व दिशा का काश्त कर काबिज है।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में ग्राम कोलसिया की सहरद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 488, 489 व 496 जिसके नये खसरा नम्बर क्रमशः 1528/1064, 1064, 1062, 1061, 1060 रकबा क्रमशः 0.21, 0.04, 0.23, 0.28, 0.21 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैक्टर प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल से अनुसार बनना प्रमाणित होता है। पी.डब्ल्यू 1 से 4 में अंकित है कि खसरा नम्बर क्रमशः 1528/1064, 1064, 1062, 1061, 1060 रकबा क्रमशः 0.21, 0.04, 0.23, 0.28, 0.21 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैक्अर भूमि मे 1/5 भाग पूर्व दिशा का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 काश्त करते है लेकिन राजस्व अभिलेख गलत रूप से रूपा, काना, धीरा व उदा के वारिसान के नाम गलत रूप से अंकित हो जाने के कारण उनका नाम राजस्व अभिलेख में है लेकिन मौके पर स्वर्गीय मला के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पूर्वी 1/5 भाग काश्त कर रहे है, जिस बाबत किसी तरह का ऐतराज अथवा आपति प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 45 ने आज तक नही करके वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के तत्सम्बन्धी खातेदारी अधिकारो को आज तक मान्य किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद –पत्र को स्वीकार किया गया है। गलत राजस्व रिकार्ड के कायम रहने से वादीगण के हक हकुको पर क्लाउड आने का अंदेशा तथा अपूरणीय क्षति होनी हो सकती है। लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 488, 489 व 496 जिसके नये खसरा नम्बर क्रमशः 1528/1064, 1064, 1062, 1061,1060 रकबा क्रमशः 0.21, 0.04, 0.23, 0.28, 0.21 कुल किता 4 कुल रकबा 0.97 हैक्टर भूमि में 1/5 भाग के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि वे घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

(11)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

पर्चा डिक्री
दावा बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 280 / 2015 **(रामेश्वर बनाम मामचन्द आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **10–01–2022** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 488, 489 व 496 जिसके नये खसरा नम्बर क्रमशः 1528 / 1064, 1064, 1062, 1061,1060 रकबा क्रमशः 0.21, 0.04, 0.23, 0.28, 0.21 कुल किता 4 कुल रकबा 0.97 हैक्टर भूमि में 1 / 5 भाग के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि वे घोषित खातेदार अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10–01–2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested